



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326666, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) in_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं० ४बी/यू.पी./०२/३४/२०१८/एफ.सी/२७०

दिनांक: 28.08.2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण),
वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की १०३.६७५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १८२८२ वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की २३.४८८७ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २९२८ वृक्षों का पातन अर्थात् १२७.१६३७ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २१२१० वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उ० प्र० का पत्रांक-३९२/११-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016, दिनांक-२६.०८.२०१९।

महोदय,
उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी। उक्त प्रकरण को दिनांक-०२.०७.२०१९ को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार क्षतिपूर्क वनरोपण की अनुपालना के सम्बंध में निदेशानुसार निम्नवत कहना है-

As per the recommendation of the Committee appointed by Hon'ble NGT in OA no. 521/2014, Compensatory afforestation on degraded forest land equal to double the forest area (980.40 ha.) released for Kanhar Irrigation Project by the Central Government was to be raised. Out of 2x980.40=1960.80 ha. 666 ha. has already been planted and a scheme of afforestation on degraded Forest land for balance 1294.80 ha. or 1295 ha. is to be submitted/implemented by the State Government.

अतः प्रकरण में अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना स्वीकार की जा सकती है।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. अपर वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-११०००३।
२. निदेशक (आर०ओ०एच०यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-११०००३।
३. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
४. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।
५. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-३, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
६. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
७. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- ४३१ / ११-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016, लखनऊ, दिनांक: अगस्त २९, २०१९

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को भारत सरकार के पत्र दिनांक १४.०८.२०१९ की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को को भारत सरकार के पत्र दिनांक १४.०८.२०१९ की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

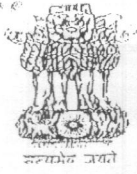
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक १३९२/सी०/३३ दि० सितम्बर २० २०१९

पत्रांक ९८३/सी०/३३ दि० २९-८-२०१९ के प्र० ३

कार्यालय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ० प्र०, लखनऊ।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeefrolko@gmail.com

पत्र सं० एवी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी० (24)

दिनांक : 14.08.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-08.08.2019 की कार्यवाही (REC Agenda item 40.8-U.P.)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक 08.08.2019 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक 08.08.2019 की कार्यवाही (REC Agenda Item 40.8-U.P.) में विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The State Government should submit undertaking along with the detailed estimate for raising of compensatory afforestation over 1295 ha. non-forest land and enrichment plantation as required along with KML files, Geo-referenced maps, toposheets and site suitability certificates of the selected site from concerned DFO's.

भवदीय,

(के०के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, उ० प्र०।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के०के० तिवारी)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)